न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.4 / 18

दिनांक 18.3.18

सरकार बनाम राजपाल सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजनोता ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम राजनोता तहसील कोटपूतली के ख0 न02408 रकबा 0.32है0 किस्म जमींन चारागाह में से0.01 है0 पर राजपाल सिंह पुत्र बुद्वसिंह जाति राजपूत निवासी राजनोता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बाउण्ड्रीवाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैरसायल ने अपने जबाव मे अतिक्रमण करना स्वीकार किया है अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायल के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः गैर सायल राजपाल सिंह पुत्र बुद्व सिंह जाति राजपूत निवासी राजनोता तहसील कोटपूतली को वाके ग्रम राजनोता के आ0ख0न02408 / 0.32है0किस्म चारागाह मेंसे 0.01 पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर किये गये बाउड्री वाल निर्माण को ध्वस्त किया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण** करने के आरोप में लगान राशी 0. 10रू का पचास गुणा 5रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक18.3.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018 ... 014 ... के रा० नं० 4
के पृष्ठ संख्या 13 ... पर 5रू ...
... कायम किये गये ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली